

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी

पीठासीन अधिकारी :- बिन्दुबाला राजावत, R. A. S.

प्रकरण सं. 09/2018 ई. रे.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00016

1. श्री भंवरू उर्फ भंवरलाल पिता किशना डांगी निवासी फाचर तह. बड़ीसादड़ी
2. श्री रामचन्द्र पिता किशना डांगी नि. फाचर तह. बड़ीसादड़ी

— वादीगण

बनाम

1. श्री सुधीर पुत्र अमरचन्द सुराणा, आयु वयस्क, निवासी जोधपुर हाल मुकाम अमर प्रकाश देव प्रा0लिमि. 42 राजेन्द्र प्रसाद रोड, नेहरू नगर, क्रोमपेट, चेन्नई पिन कोड नं. 600044
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादड़ी, जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. टेनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :-

1. श्री प्रेमसिंह मेहता, अधिवक्ता-वादीगण की ओर से
2. एक पक्षीय कार्यवाही-प्रतिवादीगण के विरुद्ध

--: निर्णय :-

दिनांक :- 21.11.23

वादी द्वारा दिनांक 17.01.2018 को इस न्यायालय में धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया की देवदा ग्राम, पटवार हल्का विनायका, तहसील बड़ीसादड़ी में खाता सं. 19 की खसरा सं. 139, 140, 143, कुल कित्ता 3, कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित हैं, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नं. 104 मीन, रकबा 43 बिघा 14 बिस्वा रहे है। इस आराजी में से वादीगण के पिता किशना डांगी ने 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि तत्कालिन खातेदार कंवलमल पिता करणमल जी सुराणा महाजन से 95/-पिच्चहत्तर रूपये के प्रतिफल पर दिनांक 21.12.1966 को क्रय की और इस आशय का बिकाव नामा वाद पत्र के साथ पेश किया है, खरिदी गई भूमि के निम्न पडौस बताये है पूर्व-माल में जान का रास्ता, पश्चिम- रामा ओड़ का खेत उत्तर- कालु आड़ का खेत, दक्षिण- बड़ीसादड़ी विनायका जाने की पगडण्डी इस प्रकार इसी आराजी में से वादीगण के पिता किशना जी डांगी 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि और तत्कालिन खातेदार कंवलमल पिता करणमल जी सुराणा महाजन से उक्त पडौस के मध्य खरीदशुदा भूमियो पर वादीगण ने पुर्व में उसके पिता



उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़



की मृत्यु के उपरांत वादी का कब्जा होना बताते हुए अपनी खातेदारी में घोषित किये जाने की प्रार्थना की है। पुर्व में कानून की जानकारी नही होने से खातेदारी में दर्ज नही होना बताया है, विक्रेता खातेदार कंवरमल जी व उनके पुत्र अमरचन्द सुराणा दोनो की मृत्यु होना बताया और सुधीर कुमार प्रतिवादी सं. एक को एकमात्र विधिक वारिस बताते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र दर्ज होने के उपरांत प्रतिवादी सुधीर एवं भुमिधारी तहसीलदार बडीसादडी को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के सम्मन जारी किये गए सम्मन विधिवत् तामील होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण इस न्यायालय में उपस्थित होने में व जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहे है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होकर उनका कोई जवाब या ऐतराज नही होने से तनकीया कायम करने की आवश्यकता नही रही है। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जा कर वादीगण भंवरू उर्फ भंवरलाल ,रामचन्द्र तथा गवाह निर्मल कुमार भण्डारी ने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में दोनो बिकाव नामे, मिलान खसरा अभिलेख, चालु खाते की जमाबंदी आदि प्रदर्शित कराए है, बिकाव नामे पर बेचानकर्ता के हस्ताक्षर को गवाह निर्मल कुमार ने पारिवारिक रिश्तेदार होने से पहचाना है। अपने पिता सोहनचन्द्र भण्डारी द्वारा बिकाव नामा लिखा जाना अपनी साक्ष्य में जाहिर किया है और यह भी बताया कि कंवरमल जी जो इस गवाह के रिश्तेदार हैं, का प्रतिवादी सुधीर कुमार ही एकमात्र विधिक वारिस है।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली का विश्लेषण किया गया। वादी द्वारा वक्त खरीद यानी वर्ष 1966 से पुरानी आराजी सं. 104 में से 3 बीघा 10 बिस्वा जमीन पर काबिज होकर काश्त करना बताया है, जिसके सेटलमेन्ट उपरांत नये नम्बर 139, 140, 143 होना मिलान खसरा अभिलेख से प्रकट है। बिकाव के दोनो दस्तावेज यानि विक्रय पत्र एक सौ रूपये से कम विक्रय प्रतिफल यानी 95/- रूपये हेतु प्रत्येक निष्पादित होने से अनिवार्य पंजीयन की श्रेणी में नही आते है और उसकी विधि मान्यता प्रश्नगत नही रहती है। वादीगण के अभिवचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवादीगण के द्वारा उपस्थित होकर लेश मात्र भी खण्डन नही किया गया है। ऐसी सुरत में वादीगण की साक्ष्य अखण्डित रहती है और उस पर अविश्वास का कोई आधार प्रतीत नही होता है। इस प्रकार वाद पत्र को डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।



82
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

